COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

A.B.P. No. 167/2026

Chandramandi P.S. case no. 259/2024

Bangali Verma & others Vs. State of Bihar

18.03.2026 चन्द्रमंडी थाना काण्ड संख्या–259/2024, जो भा0न्या0स0 की धारा 126(2), 356(2), 351(2), 352, सभी सपठित धारा 3(5) एवं डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा–3/4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(2)(va) से संबंधित है, के अभियुक्तगण 1. **बंगाली वर्मा,** उम्र–51 वर्ष, पिता–स्व0 झबन वर्मा उर्फ झबन महतो, 2. **द्वरिका वर्मा उर्फ द्वरिका महतो,** उम्र–45 वर्ष, पिता–स्व0 झबन वर्मा उर्फ झबन महतो, 3. **राजेन्द्र वर्मा उर्फ राजेन्द्र महतो,** उम्र–49 वर्ष, पिता–स्व0 झबन वर्मा उर्फ झबन महतो, 4. **मनोज वर्मा उर्फ मनोज महतो,** उम्र–31 वर्ष, पिता–भीखारी वर्मा उर्फ भीखारी महतो, सभी निवासी ग्राम नवादा, थाना चन्द्रमंडी, जिला जमुई की ओर से भारतीय नगरिक सुरक्षा सहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक डुलुम रजक पिता स्व0 महादेव रजक द्वारा थानाध्यक्ष, थाना चन्द्रमंडी को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि वह अपने खलियान से दिनांक–21.12.2024 को संध्या 6 बजे वापस घर आ रहा था तभी बंगाली वर्मा, द्वारिका वर्मा, राजेन्द्र वर्मा, एवं मनोज वर्मा ये सभी लोग रास्ता रोककर कहने लगे कि ''तुम्हारी पत्नी डायन है'' और गाली गलौज एवं मारपीट करने के लिए उतारू हो गये। जब उसने उनका विरोध किया तो बोला कि ''मादरचोद धोबी तुम लोगों को मारकर फेंक दूंगा, कोई बाप नहीं बचाएगा।'' बंगाली वर्मा हाथ में लाठी लेकर और द्वारिका वर्मा टांगा लेकर, राजेन्द्र एवं मनोज उकसाने लगे कि ''जान से मारकर फेंक दो, देखेंगे बहनचोद धोबी क्या कर लेगा।'' वह वहां से किसी तरह भाग गया और थाना आया तो उसकी जान बची।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन है कि आवेदक अभियुक्त सं0–3 एवं 4 का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है किंतु आवेदक अभियुक्त सं0–1 एवं 2 के विरूद्ध चन्द्रमंडी थाना कांड सं0–83/2012 है, जिसमें सुलह हो चुका है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण को झूठ एवं मनगढंत केस में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण ने सूचक की पत्नी को जाति सूचक गाली नहीं दिया है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उनका कथन है कि लगा

आरोप गम्भीर है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पैरा 2 में कांड के सूचक पुनः बयान दर्ज है। अपने पुनः बयान में कांड के सूचक ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा 3, 7, 15, 16 में साक्षी कुसमी देवी, सुमंती देवी, नकुल महतो, रमेश कुमार वर्मा का बयान दर्ज है जिन्होंने अपने अपने बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा–29 एवं 30 में स्वतंत्र साक्षी विजय कुमार वर्मा एवं नीलम देवी का बयान है जिन्होंने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक–21.12.2024 को बंगाली वर्मा अपना घर बनाने के लिए ईटा गिरवा रहे थे तभी डुलुम रजक के द्वारा विरोध किया गया तो बंगाली वर्मा बोले कि एक दो दिन में ईंट हटा लेंगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों गाली गलौज एवं मारपीट हुआ। इन दोनों साक्षियों ने कथन किया है कि अभियुक्तगण सूचक को जाति सूचक गाली गलौज एवं डायन नहीं कहा था। मेरे विचार से मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के अभियोग से संबंधित है तथा मैं विद्वान अपर लोक अभियोजक के इस कथन से सहमत हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है। अतः यह अग्रिम जमानत **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह
सह विशेष न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायालय, जमुई।